	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 13, सोमवार शाके 1941–जून 03, 2019 *Jyaistha 13, Monday, Saka 1941–June 03, 2019*	

भाग 1 (ख)

`महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व-विभाग

कार्यालय जिला कलेक्टर, राजसमन्द

अधिसूचना/आदेश

राजसमन्द, मार्च 6, 2019

संख्या प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्र व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्न सूची के अनुसार राजसमन्द जिले में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुम्भलगढ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः-

1. उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ।
2. प्रधान, पंचायत समिति, कुम्भलगढ।
3. अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
4. उप वन संरक्षक, राजसमन्द।
5. उप निदेशक, कृषि विस्तार, राजसमन्द।
6. कार्यपालक इन्जिनियर, लोक निर्माण विभाग, आमेट।
7. कार्यपालक इन्जिनियर, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द।
8. तहसीलदार, कुम्भलगढ।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अंतर्गत संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ) को उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विवरण निम्न सूची के अनुसार

फार्म नं.2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	कुम्भलगढ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ की निजी खातेदारी की भूमियां किता 25 क्षेत्रफल 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दे।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और /या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम 2013 की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनैअलच परिणाम (सामाजिक समाघात रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार।
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हॉ।
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।

अरविन्द कुमार पोसवाल,
जिला कलेक्टर राजसमन्द।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।